झारखण्ड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड, राँची — 834001 विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि—04.08.2025

विज्ञापन संख्या-02 / 2025

झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग के अन्तर्गत वाष्पित्र निरीक्षक (सीधी भर्ती) नियुक्ति परीक्षा

झारखण्ड राज्य के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के पत्रांक—695, दिनांक—12.04.2023 द्वारा वाष्पित्र निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के माध्यम से संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में Online आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जो आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

- 1. (i) पद का नाम— वाष्पित्र निरीक्षक (Boiler Inspector)
 - (ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत है :--

	Category	Vertical Reservation No. of vacancies	Horizontal Reservation against total vacancy							
S.No.			160			Handicapped				
			Women	Sports	Primitive Tribe	अंधापन और कम दृष्टि (क)	ब्रहरापन एवं श्रवण निःशक्तता (ख)	चलन निःशक्तता (ग)	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता (घ) स्वलीनता (Autism), बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी और / या बहु निःशक्तता (Multiple Disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से हो सकता है।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
i	Unreserved	02								
ii	EWS	00	00 00							
iii	SC	00						00		
iv	ST	02		00	00	00	.00	00	00	
v	BC-I	01						9		
vi ·	BC-II	00								
Total		05	00	00	00	00	00	00	00	

नोट :- रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

- 2. <u>वेतनमान</u> PB-II- 9,300-34,800 (Grade Pay 5,400)
- **3. पद की प्रकृति** स्थायी
- 4. परीक्ष्यमान अवधि 2 (दो) वर्ष

5. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता (Mandatory Educational Qualification and other Eligibility Criteria) :--

- a) शैक्षणिक (Educational) : यांत्रिक अथवा पावर प्लांट अथवा धातुकर्म अथवा उत्पादन अभियंत्रण / टेक्नोलॉजी में स्नातक पाठ्यक्रम की डिग्री (Bachelor degree in Mechanical or Power Plant or Metallurgy or Production Engineering/Technology) from:
 - i. केन्द्रीय या राज्य विधानसभा के अधिनियम द्वारा भारत में निगमित कोई विश्वविद्यालय। (University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India); or
 - ii. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान। (An Institution recoginzed by AICTE); or
 - iii. संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा—3 के अधीन सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित। (An educational institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as University under section 3 of the University Grant Commission Act, 1956); or
 - iv. ऐसे अन्य समतुल्य अर्हता जिसे उक्त परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता दी गई है या दी जा सकेगी। (Such other equivalent qualification as have been or may be recognized by the Government for the purpose of admission to the said examination).
- b) कार्य अनुभव (Work Experience): शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के उपरान्त कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निबंधित किसी संस्था/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा सरकारी विभाग के वाष्पित्र संयंत्र में संबंधित शाखा के अभियंता के रूप में 02 (दो) वर्ष का कार्य अनुभव।

अथवा.

शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के उपरान्त वाष्पित्र इंजन बनाने तथा मरम्मत करने वाले कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित किसी कर्मशाला में अभियंता के रूप में 02 (दो) वर्ष तक कार्य करने का कार्य अनुभव।

(Post educational qualification practical experience of two years as an engineer in a boiler plant of any organization registered under Companies Act, 1956 / Public Sector Undertaking or Government department in related branch of engineering).

OR

(Post educational qualification experience of two years as an engineer in a workshop making and repairing steam engines registered under Factories Act.

कार्य अनुभव निबंधित संस्था / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा सरकारी विभाग के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। (Work experience certificate should be issued by the competent authority of the registered organization / Public Sector Undertaking or Government department).

6. उम्र सीमा की संदर्भ तिथि :- 01.08.2022

- (क) न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष
- (ख) अधिकतम उम्र सीमा :- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या—29, दिनांक—04.01.2021 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है :--

SI No.	Category	Upper Age Limit		
1	Unreserved	35 Years		
2 :	Extremely Backward Classes (Annexure-I)/Backward Classes (Annexure-II)	37 Years		
3	Female (Unreserved/Extremely Backward Classes (Annexure-I)Backward Classes (Annexure-II))	38 Years		
4	Scheduled Tribes/Scheduled Castes (Male and Female)	40 Years		
5	Economically Weaker Section	35 Years		
6	Persons with Benchmark Disability (PwBD)	A relaxation of 10 years in their respective category.		
7	Ex-Servicemen	A relaxation of 5 years in their respective category.		

नोट :- झारखण्ड राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मियों जिन्होंने तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो उन्हें उपुर्यक्त निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट प्रदान की जायेगी।

7. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :--

- (क) अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।
- (ख) लिखित परीक्षा लिखित परीक्षा तीन पत्रों की होगी जिनके प्रश्न विषयनिष्ठ (Subjective) स्वरूप के होंगे। उक्त पत्रों की विवरणी निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	विषय	पूर्णांक	अवधि	अम्युक्ति
1	सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी (General Hindi and General English)	100	3 घंटे	सभी अभ्यर्थियों के
2	अभियंत्रण प्रश्न पत्र—1 (Engineering Paper-I)	200	3 घंटे	लिए अनिवार्य।
3	अभियंत्रण प्रश्न पत्र—2 (Engineering Paper-II)	200	3 घंटे	

- नोट :- (i) वाष्पित्र निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी प्रश्न पत्र में न्यूनतम अर्हक अंक (30 अंक) प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा इस पत्र में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के ही अभियंत्रण प्रश्न पत्रों की जाँच की जाएगी। उक्त प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों की गणना मेधा सूची बनाने में नहीं की जायेगी।
 - (ii) अभियंत्रण प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में ही होंगे।
 - (iii) प्रश्न पत्रों में यथावश्यक एस0आई0 यूनिट का प्रयोग किया जायेगा।
 - (iv) विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट <u>www.ipsc.gov.in</u> पर उपलब्ध है।

(ग) साक्षात्कार :- वाष्पित्र निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा साक्षात्कार लिया जायेगा जो 50 (पचास) अंकों का होगा।

व्यक्तिगत परीक्षण करते समय अभ्यर्थी की नेतृत्व क्षमता, पहल तथा बौद्विक क्षमता, व्यवहार कुशलता एवं अन्य सामाजिक गुण, मानसिक एवं शारीरिक क्षमता और सत्यनिष्ठा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(घ) लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा के प्राप्तांकों के योग के आधार पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाएगी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या—13026, दिनांक—27.11.2012, संकल्प संख्या—7358, दिनांक—12.09.2019 एवं संकल्प संख्या—3928, दिनांक—11.08.2020 के अनुरूप लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत् होगा :—

अनारक्षित	40 प्रतिशत		
पिछड़ा वर्ग-अनुसूची II	36.5 प्रतिशत		
अत्यंत पिछड़ा वर्ग–अनुसूची I	34 प्रतिशत		
अनुसूचित जाति / जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत		
आदिम जनजाति	30 प्रतिशत		
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत		

- 8. **आरक्षण का लाभ** :- आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।
 - (a) जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है :--
 - (i) अनुसूचित जनजाति :- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक—1754, दिनांक—25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र—IV अथवा पत्रांक—1361, दिनांक—03.03.2022 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र—IV (संशोधित) अथवा पत्रांक—2669, दिनांक—10.05.2023 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र—V (संशोधित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण—पत्र के आधार पर देय होगा।
 - (ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग- अनुसूची । :-झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग- अनुसूची । कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754, दिनांक-25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-6 के साथ प्रपत्र-11 (क्रीमी लेयर रहित प्रमाण-पत्र) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर देय होगा।
 - नोट:—कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के परिपत्र सं0—1754, दिनांक—25.02. 2019 के प्रावधान के आलोक में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण—पत्र की वैधता उसके निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। किन्तु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (फॉर्म सं0—15) संलग्न करने पर इस प्रमाण—पत्र की वैधता स्वघोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

- (iii) केन्द्र सरकार के सेवाओं / पदों के लिए अनुमान्य जाति प्रमाण-पत्र का विहित प्रपत्र (Central Government Format) मान्य नहीं होगा।
- (iv) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के ज्ञापांक—235, दिनांक—10.10.2019 के आलोक में अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाहं के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।
- (v) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण कोटि से संबंधित किये गये दावे में नियुक्ति की जारी प्रिक्रिया के बीच सुधार / बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (vi) अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति को साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी। उक्त तिथि के पश्चात् प्रस्तुत कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (b) जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के क्रम में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। निर्धारित विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- 9. <u>कदाचार (Misconduct) के निम्न मामलों में अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है</u> :
 <u>A candidate who is or has been declared to be guilty of :-</u>
 - (i) Obtaining support for his candidature by the following means, namely :-
 - (a) Offering illegal gratification to; or
 - (b) Applying pressure on; or
 - (c) Blackmailing, or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination; or
 - (ii) Impersonation; or
 - (iii) Procuring impersonation by any person; or
 - (iv) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or
 - (v) Uploading irrelevant photos in the application form in place of actual photo/signature; or
 - (vi) Making statement which are incorrect or false or suppressing material information; or
 - (vii) Resorting to the following means in connection with his candidature for the examination, namely:-
 - (a) Obtaining copy of question paper through improper means; or
 - (b) Finding out the particulars of the persons connected with work relating to the examination; or
 - (c) Influencing the examiners; or
 - (viii) Being in possession of or using unfair means during the examination; or
 - (ix) Writing obscene matter or drawing obscene sketches or irrelevant matter in the scripts; or
 - (x) Misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts, provoking fellow examinees to boycott examination, creating a disorderly scene and the like; or
 - (xi) Harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or

- (xii) Being in possession of or using any mobile phone (even in switched off mode), pager or any electronic equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or Bluetooth devices or any other equipment or related accessories either in working or switched off mode capable of being used as a communication device during the examination; or
- (xiii) Violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificates permitting them to take the examination; or
- (xiv) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;
- (xv) May in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :-
 - (a) To be disqualified by the Commission from the Examination for which he is a candidate; and/or
 - (b) To be debarred either permanently or for a specified period :-
 - (i) By the Commission, from any examination or selection held by them;
 - (ii) By the Government from any employment under them, and
 - (c) If he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules :

Provided that no penalty, under this rule shall be imposed except after:-

- Giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in this behalf; and
- (ii) Taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.
- 10. वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। अभ्यर्थियों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

11. परीक्षा शुल्क :--

- (i) परीक्षा शुल्क Credit Card/Debit Card/Net Banking/Wallet/Bharat QR/UPI के माध्यम से Payment Gateway द्वारा लिया जायेगा जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट <u>www.ipsc.gov.in</u> पर उपलब्ध है।
- (ii) अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू0—**600 (छः सौ)** मात्र है।

(iii) परीक्षा शुल्क में छूट-

(a) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0—150/— (एक सौ पचास) मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रदद करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

- (b) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है। इसके लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या— 2249 दिनांक— 03.04.2018 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (c) अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।
- (d) कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता वाले निःशक्त अभ्यर्थियों को छोड़ अन्य अभ्यर्थियों द्वारा बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे।
- (iv) परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

12. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :--

- (क) Online आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।
- (ख) झारखण्ड लोक सेवा आयोग के वेबसाइट <u>www.jpsc.gov.in</u> पर One Time Registration System के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (ग) अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्ध सत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (घ) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Id एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत Mobile Number, E-mail Id अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का Mobile Number, E-mail Id अंकित नहीं करेंगे।
- (ङ) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (च) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- (छ) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को Submit करने के बाद उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे तथा विज्ञापन से संबंधित एवं आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र / कागजात एवं परीक्षा शुल्क भुगतान की रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

- (ज) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हत्ता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
- (झ) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।
- (ञ) Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली—भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।
- (ट) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.ipsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.— +917979970392, +918340331314 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह—10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (ठ) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के Help Line No. +917979970392, +918340331314 पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है अथवा e-mail id- helpdesk@jpscexam.com पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- (ड) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.— +917979970392, +918340331314 पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है अथवा e-mail id- helpdesk@jpscexam.com पर पृच्छा दर्ज कर सकते हैं।
- (ढ) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापित्त प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे।
- (ण) One Time Registration System के द्वारा अभ्यर्थी वांछित स्थान पर अपना प्रमाण—पत्र, स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर प्रमाण—पत्र, फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रह कर दी जायेगी।
- (त) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (थ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक-पत्र में अंकित है।
- (द) आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र / अंक पत्र में जो उनकी जन्म तिथि अंकित है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।

- (ध) आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव से संबंधित विवरणी, उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण–पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण–पत्र, ऑनलाइन (Online) आंवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे।
- (न) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ ऑनलाईन आवेदन में की गयी प्रविष्टि के अनुरूप सभी वांछित निम्न प्रमाण—पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति (Self Attested Copy) संलग्न कर आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे:—
 - (i) मैट्रिक प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।
 - (ii) यांत्रिक अथवा पावर प्लांट अथवा धातुकर्म अथवा उत्पादन अभियंत्रण / टेक्नोलॉजी से स्नातक पाट्यक्रम का विहित डिग्री प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।
 - (iii) अभियंता के रूप में 02 (दो) वर्ष का विहित व्यावहारिक कार्य अनुभव का प्रमाणं—पत्र की छायाप्रति।
 - (iv) जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति (आरक्षण/अधिकतम उम्र सीमा में छूट/परीक्षा शुल्क में छूट लेने हेतु)।
 - (v) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति (अधिकतम उम्र सीमा में छूट / परीक्षा शुल्क में छूट लेने हेतु)।
 - (vi) भूतपूर्व सैनिक सेवा का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति (अधिकतम उम्र सीमा में छूट लेने हेतु)।
 - (vii) झारखण्ड राज्य सरकार में लगातार तीन वर्ष की सेवा पूरी करने का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति (अधिकतम उम्र सीमा में छूट लेने हेतु)।
 - (viii) अनापत्ति प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो)।
 - (ix) ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप उक्त प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आयोग कार्यालय में दिनांक—18.08.2025 अपराह्न 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से "परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001" के पते पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के उपर विज्ञापन संख्या—02/2025, परीक्षा का नाम यथा—"झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग के अन्तर्गत वाष्पित्र निरीक्षक (सीधी भर्ती) नियुक्ति परीक्षा", आवेदक का नाम एवं Registration No. मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।
 - (x) निर्धारित तिथि के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा कोई भी प्रमाण पत्र / अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर स्वीकार्य नहीं होगा।
- (प) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय उपर्युक्त कंडिका—(न) के अनुरूप यथा वांछित मूल प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
- (फ) अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

- (ब) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा कोई भी प्रमाण पत्र/अभिलेख उपलब्ध कराए जाने पर स्वीकार्य नहीं होगा।
- (भ) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में प्रविष्ट सूचना एवं तदनुसार संलग्न प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर ही अभ्यर्थिता तय की जायेगी। अतः अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सही—सही सूचना प्रविष्ट करते हुए अनिवार्य रूप से प्रविष्ट किए गए सूचना अनुसार संबंधित प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न करेंगे।
- (म) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (य) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (र) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है। इस बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (ल) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

13. अंतिम तिथि :-

- (क) आवेदक One Time Registration System के माध्यम से **दिनांक—14.07.2025 से 04.08.2025** अपराह्न 05:00 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।
- (ख) सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र One Time Registration System के माध्यम से दिनांक—04.08.2025 अपराह्न 05:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे।
- (ग) दिनांक-04.08.2025 के बाद दिनांक-05.08.2025 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (घ) आवेदक कंडिका—12(न) के अनुसार Online आवेदन की मुद्रित प्रति के साथ ऑनलाईन आवेदन में की गयी प्रविष्टि के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण—पत्रों की स्वअभिप्रमाणित (Self Attested Copy) प्रति केवल स्पीड—पोस्ट/निबंधित डाक द्वारा या हाथोंहाथ (कार्य अविध में) इस प्रकार भेजें की दिनांक—18.08.2025 अपराह्न 05:00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची—834001 को अवश्य प्राप्त हो जाय।
- (ङ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होगें।

ह0 / – परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।